

( राजस्थान-सरकार )

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, बारां (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :- 12/2025

पंजीकरण संख्या :- 2025/62

**बउनवान**

मोहम्मद निसार निवासी वार्ड नं. 25, काजियों की मस्जिद, सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)**

**निर्णय दिनांक 12.08.2025**

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.05.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पीएम आवास योजना की दिनांक 01.01.2023 से 14.05.2025 तक के लाभार्थियों की सूची चाही गई है। अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरुद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन-पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 21.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 600-601 दिनांक 22.07.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 600-601 दिनांक 22.07.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/208 दिनांक 05.08.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा पीएम आवास योजना की दिनांक 01.01.2023 से 14.05.2025 तक के लाभार्थियों की सूची चाही गई है। उक्त चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा से उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। जिसकी प्रतिलिपी अपीलार्थी को भी दी गई।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/ न्याय/आरटीआई/2025/208 दिनांक 05.08.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया जाकर प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **12.08.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारों